# फर्द अहकाम

सुमित्रा बनाम मोहन लाल वगै.

नाम न्यायालय AC-D

केस संख्या दावा-117/2022

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 31/10/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया। शा० पत्र लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को वारिसान 2/1 व 3 को वारिसान 3/1 की तामील रिपोर्ट प्राप्त है। नोटिस वापस रिपोर्ट व दो गवाहान के हस्ताक्षर अंकित है अतः वापस सूचना प्रतिवादी सं. 2/1, व 3/1 अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी सं. 2/1 व 3/1 को विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी। वादी वकील की बहस सुनी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली सहायक कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट का स्वीकार कर वाद में अन्तिम डिक्री आदेश की जाती है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर डाक नंबर से खारिज उपरान्त हो। निर्णय पत्र होकर शामिल उपरान्त हो। निर्णय आज दिनांक 31/10/2022 को सरे आम इजलास सुनाया गया। |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner